





अधीज
11.07.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/375

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
हनुमानदास बनाम इकबाल मोहम्मद आदि

मुकदमा क्रिस अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 108 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.06.2024	<p>प्रार्थी हनुमानदास की तरफ से वकील श्री अनिल सिहाग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा पल्लू के ख.नं. 224 की 8.5733 है। भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय व निर्माण कार्य करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 26.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p>	<p>21.07.2024 को के कार्या अधीज कार्यवाही नुसी 21.07.2024 को</p> <p style="text-align: center;">  Sub-Divisional Officer रावतसर </p>
11.07.2024	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र सिखल पेकी पेश करके पर प्रतावनी को पेकी में लिफा गमा वकील प्रार्थी ने निषेद्ध अघाई प्रार्थना-पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के राजीनामा होने के कारण को नही चलाना चाहते है। कोर्ट में अधीज करवाना चाहते है। कार प्रार्थना-पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा मौजूदा रिपोर्ट में अधीज अघाजाहो प्रतावनी नम्बर से काम की जाकर कस तारीख वकील अघा काखिल बकलर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p>	<p>11.07.2024</p> <p style="text-align: center;">  Sub-Divisional Officer रावतसर </p>

